न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर धौलपुर

अपील मुकदमा नम्बर :– 20/2024 (जी सी एम एस नम्बर 2024/43)

उनवानी प्रकरण :–

बासन देई पुत्री श्री ग्यासीराम पत्नी श्री पप्पू सिंह जाति काछी (कुशवाह) निवासी ग्राम करेरूआ तहसील बाडी जिला धौलपुर हाल निवासी चौक मौहल्ला मालौनी रोड बसईनबाव तहसील बसईनबाव जिला धौलपुर ————अपीलान्ट

बनाम्

1–तेजसिंह / पुत्रगण ग्यासीराम
2–केदार /
3–मातादीन / जाति काछी (कुशवाह)
4–रामकुमार / निवासी ग्राम करेरूआ तहसील बाडी जिला धौलपुर
5–तहसीलदार बाडी जिला धौलपुर ————————रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 1237 दिनांक 12.06.2018 ग्राम करेरूआ पारित द्वारा तहसीलदार बाडी

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

उपस्थिति :
अपीलान्ट की ओर से :– श्री हरिवीर सिंह एडवोकेट
रेस्पो0 सं0 2 व 4 की ओर से :– श्री विजय सिंह एडवोकेट
रेस्पोडेण्ड सं0 5 की ओर से :– पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक : 19.05.2025

प्रस्तुत अपील, अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के आधार पर पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 101, 355, 393, 396, 477, 479 वांके ग्राम करेरूआ तहसील बाडी के तन्हा खसरा नम्बर 392 गैर मुमकिन कुआ वांके ग्राम करेरूआ तहसील बाडी के 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार अपीलान्ट के पिता स्व0 ग्यासीराम पुत्र मंगला थे और इसी हैसीयत से काबिज काश्त थे। ग्यासीराम का देहान्त हो चुका है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस सगे बहिन भाई है एवं स्व0 ग्यासीराम द्वारा छोडी गई समस्त जायदाद के बराबर–बराबर हिस्सा अर्थात 1/6 – 1/6 भाग के खातेदार एवं मालिक है अर्थात स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी है। सन 2018 से करीब 03 वर्ष पूर्व

जिला कलक्टर
धौलपुर

अपीलान्ट के पिता का देहान्त हो गया उनके देहान्त के बाद विवादित नामान्तकरण संख्या 1237 दिनांक 12.06.2018 को तस्दीक किया गया है जो गलत है। यह नामान्तकरण अपीलान्ट को छोडकर जानबूझकर अपीलान्ट के हिस्से को हडपने के लिये पटवारी हल्का से मिलकर भरवाया गया और सरपंच के बजाय तहसीलदार बाडी से तस्दीक कराया गया है जो विधि विरूद्व है तथा नल एण्ड वोईड एवं शून्य है तथा काबिले खारिजी है। अपीलान्ट हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की प्रथम अनुसूची की ग्यासी की वारिस है जिसे रेस्पोडेन्टस के साथ विरासत के नामान्तकरण में बराबर बराबर हिस्से पर शामिल किया जाना चाहिऐ लेकिन विवादित नामान्तकरण में अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण नहीं किया गया है जो विधि विरूद्व है और काबिले खारिजी है। अपीलाधीन नामान्तकरण में पटवारी हल्का द्वारा यह लिखा गया है कि मुताबिक शिजरे के नामान्तकरण दर्ज कर पेश है लेकिन शिजरा का अंकन नामान्तकरण की परत पर नहीं किया है ना ही सरपंच से तस्दीक कराया है। इस प्रकार कोई शिजरा उक्त नामान्तकरण के समय तैयार नहीं किया गया है। बिना शिजरे के नामान्तकरण भरा गया है जो गलत है तथा विधि विरूद्व होने के कारण काबिले खारिजी है। अपीलान्ट इस नामान्तकरण से व्यथित है उसका इस नामान्तकरण में सीधा हित निहित है इसलिये विवादित नामान्तकरण की अपील प्रस्तुत करने की अपीलान्ट पूर्ण अधिकारिणी है फिर भी धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र अपील प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति हेतु प्रस्तुत है। अपीलान्ट को सवप्रथम अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी पटवारी हल्का से हुई। दिनांक 05.07.2024 को अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1237 की नकल के लिए तहसील बाडी में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी दिनांक 8.7.2024 को नकल प्राप्त हुई। नकल प्राप्त होने की दिनांक से कानूनी सलाह लेने के बाद यह अपील बिना देरी के प्रस्तुत की जा रही है। अपीलान्ट को जानकारी नहीं होने के कारण समय अवधि में अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी। वैसे भी एक्सपार्टी निर्णय में अपीलान्ट के विरूद्व म्याद का बिन्दु नहीं चलता है फिर भी धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करने के लिए प्रस्तुत किया है। अतः अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1237 दिनांक 12.06.2018 ग्राम करेरूआ तहसील बाडी जिला धौलपुर को निरस्त किये जाने तथा पुनः वारिसान की जांच कर अपीलान्ट तथा रेस्पोडेन्टस के नाम नामान्तकरण करने के लिये तहसीलदार बाडी को प्रतिप्रेषित किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पो0 संख्या 1 व 3 को रजिस्टर्ड एडी नोटिस जारी किये गये लेकिन वह बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुये। रेस्पो0 संख्या 2 व 4 की ओर से श्री विजयसिंह एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया। पत्रावली वहस हेतु नियत की गई।

जिला कलक्टर
धौलपुर

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. एवं मियाद के बिन्दु पर दोनों पक्षों को सुना गया। अपीलान्ट आक्षेपित आदेश से व्यथित पक्षकार है तथा पीडित एवं एग्रीब्ड पर्सन है। न्यायहित में आक्षेपित आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनिमय स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाता है। हम अपील अपीलान्ट गुणवगुण के आधार पर अपील का निर्णय किया जाना उचित समझते है।

बहस अन्तिम विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस सगे बहिन भाई है एवं स्व0 ग्यासीराम द्वारा छोडी गई समस्त जायदाद के बराबर–बराबर हिस्सा के खातेदार एवं मालिक है अर्थात स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी है। अपीलान्ट के पिता का देहान्त हो गया उनके देहान्त के बाद विवादित नामान्तकरण संख्या 1237 दिनांक 12.06.2018 को तस्दीक किया गया है जो गलत है। यह नामान्तकरण अपीलान्ट को छोडकर जानबूझकर अपीलान्ट के हिस्से को हडपने के लिये पटवारी हल्का से मिलकर भरवाया गया और सरपंच के बजाय तहसीलदार बाडी से तस्दीक कराया गया है जो विधि विरूद्व है तथा नल एण्ड बोईड एवं शून्य है तथा काबिले खारिजी है। अपीलान्ट हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की प्रथम अनुसूची की ग्यासीराम की वारिस है जिसे रेस्पोडेन्टस के साथ विरासत के नामान्तकरण में बराबर बराबर हिस्से पर शामिल किया जाना चाहिऐ लेकिन विवादित नामान्तकरण में अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण नहीं किया गया है जो विधि विरूद्व है और काबिले खारिजी है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण को निरस्त किये जाने तथा पुनः वारिसान की जांच कर अपीलान्ट तथा रेस्पोडेन्टस के नाम नामान्तकरण करने के लिये तहसीलदार बाडी को प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

रेस्पोडेन्टस सख्या 2 व 4 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में अपीलान्ट के कथनों को स्वीकार करते हुये अपील स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट ने यह अपील विरासत के आधार पर खोले गये अपीलाधीन नामान्तकरण 1237 दिनांक 12.06.2018 ग्राम करेरूआ तहसील बाडी जिला धौलपुर के विरूद्व पेश की है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत फोटोप्रति आधार कार्ड एवं जनआधार योजना कार्ड से प्रथम दृष्टया यह सावित होता है कि अपीलान्ट बासनदेई, ग्यासीराम की पुत्री है। ग्यासीराम की मृत्यु

जिला कलक्टर
धौलपुर

के बाद जो विरासत का नामान्तकरण 1237 खोला गया है उसमें अपीलान्ट बासनदेई का नाम अंकित नहीं है। अपीलान्ट हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की प्रथम अनुसूची की ग्यासीराम की वारिस है जिसे रेस्पोडेन्टस के साथ विरासत के नामान्तकरण में बराबर बराबर हिस्से पर शामिल किया जाना चाहिऐ लेकिन विवादित नामान्तकरण में अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण नहीं किया गया है जो विधि विरूद्व है। अपीलाधीन नामान्तकरण में पटवारी हल्का द्वारा यह लिखा गया है कि मुताबिक शिजरे के नामान्तकरण दर्ज कर पेश है लेकिन शिजरा का अंकन नामान्तकरण की परत पर नहीं किया है। इस प्रकार कोई शिजरा उक्त नामान्तकरण के समय तैयार नहीं किया गया है। बिना शिजरे के नामान्तकरण भरा गया है तथा ग्यासीराम के वारिसान के सम्बध में पूर्ण जांच नहीं की गई है जो गलत है तथा विधि विरूद्व होने के कारण काबिले खारिजी है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की यह अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है तथा प्रकरण तहसीलदार बाडी को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1237 दिनांक 12.06.2018 ग्राम करेरूआ तहसील बाडी जिला धौलपुर निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बाडी इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह ग्यासीराम के समस्त वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बाडी को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर

न्यायालय जिला कलक्टर
धौलपुर